122/2021/I/110882/2021-71-2002/1/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 30 अक्टूबर, 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सी0बी0एम0आर0 लखनऊ के गैर वेतन मद में अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सीबीएमआर/ एफ एण्ड ए/2021-22/734 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 एवं सीबीएमआर/ एफ एण्ड ए/2021-22/734 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 128.33 लाख एवं शासनादेश दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 128.33 लाख अर्थात कुल रू0 256.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्षक-2210-05-105-03-0312- सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में 128.33 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठाइस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, सी0बी0एम0आर0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3- स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
4- संस्था के निदेशक एवं संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जयेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निदेशक, सी0बी0एम0आर0 मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से कराये जाने वाले कार्यों/व्यय की मदों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे और सर्वप्रथम आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन के मानदेय/पारिश्रमिक की मदों हेतु धनराशि का आहरण करेंगे।

8- उक्त के पश्चात् व्यय की अन्य मदों में विद्युत, जलकर, भवन कर, औषधि , टेलीफोन आदि के व्यय जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए आहरण करेंगे।

9- संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में विगत 03 वर्षों का विवरण विशेषकर आउटसोर्स आफ सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

10- अतएव अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण के साथ ही प्रश्नगत मद में आगामी किश्त के प्रस्ताव के साथ बिन्दु संख्या-9 पर अपेक्षित सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाय, जिससे आगामी किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जा सके।

4- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगें।

5- प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि धनराशि रू0 128.33 लाख वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष-"2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105- एलापैथी, 03-शिक्षा- 0312-सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1835/दस-2021-2022, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
6. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in